

**झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
अधिसूचना**

राँची, दिनांक 23/5/16

संख्या-16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-II) का-4281/झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 की धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न 05 विभागों से संबंधित 26 अतिरिक्त लोक प्रदायी सेवाओं के संबंध में नाम निर्दिष्ट पदाधिकारियों, प्रथम अपील प्राधिकारों, द्वितीय अपील प्राधिकारों तथा नियत समय-सीमाओं को निम्नरूपेण अधिसूचित किया जाता है :-

प्रदायी सेवाओं के लिए नियत समय-सीमा की विवरणी

क्र०	प्रशासी विभाग का नाम	प्रदायी सेवा का नाम	नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी	नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु नियत समय सीमा
1	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-II- Up to 5 hac	वन प्रमंडल पदाधिकारी	30 दिन	वन संरक्षक	90 दिन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	180 दिन
2		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-II- From 5-40 hac	वन प्रमंडल पदाधिकारी	30 दिन	वन संरक्षक	90 दिन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	180 दिन
3		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-II- From 40-100 hac	वन प्रमंडल पदाधिकारी	45 दिन	वन संरक्षक	90 दिन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	180 दिन
4		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-II- More than 100 hac	वन प्रमंडल पदाधिकारी	60 दिन	वन संरक्षक	90 दिन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	180 दिन
5		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-III- Up to 5 hac	वन संरक्षक	10 दिन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	90 दिन	नोडल पदाधिकारी / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	180 दिन
6		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-III- From 5-40 hac	वन संरक्षक	10 दिन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	90 दिन	नोडल पदाधिकारी / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	180 दिन
7		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-III- From 40-100 hac	वन संरक्षक	30 दिन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	90 दिन	नोडल पदाधिकारी / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	180 दिन
8		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-III- More than 100 hac	वन संरक्षक	30 दिन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	90 दिन	नोडल पदाधिकारी / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	180 दिन
9		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-IV- Up to 5 hac	नोडल पदाधिकारी / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	10 दिन	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)	90 दिन	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव	180 दिन
10		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-IV- From 5-40 hac	नोडल पदाधिकारी / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	20 दिन	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)	90 दिन	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव	180 दिन
11		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-IV- From 40-100 hac	नोडल पदाधिकारी / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	25 दिन	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)	90 दिन	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव	180 दिन
12		Land diversion proposal under FC Act, 1980-Form Part-IV- More than 100 hac	नोडल पदाधिकारी / प्रधान मुख्य वन संरक्षक	30दिन	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)	90 दिन	अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव	180 दिन
13		Permission for trees felling and transit permit (For Forest Land)	वन प्रमंडल पदाधिकारी	41 दिन	वन संरक्षक	90 दिन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक / निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना	180 दिन
14		Permission for trees felling and transit permit (For Non- Forest Land)	वन प्रमंडल पदाधिकारी	41 दिन	वन संरक्षक	90 दिन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक / मुख्य वन संरक्षक / निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना	180 दिन

15	स्वा०, चि० शि० एवं परिवार कल्याण विभाग	Licence for manufacture of Allopathic Drugs (Form-25, 25A, 25B, 25F)	State Licencing Authority (Director, Drugs)	90 days	Dy. Secretary, Deptt. Of Health, Med. Edu. & Family Welfare.	30 Days	Joint Secretary, Deptt. Of Health, Med. Edu. & Family Welfare.	30 Days
16		Licence for manufacture of Homoeopathic Drugs (Form-25C)	State Licencing Authority (Director, Drugs)	90 days	Dy. Secretary, Deptt. Of Health, Med. Edu. & Family Welfare.	30 Days	Joint Secretary, Deptt. Of Health, Med. Edu. & Family Welfare.	30 Days
17		Licence for manufacture of Ayurvedic/Siddha/Unani Drugs (Form-25D, 25E)	State Licencing Authority (Director, Drugs)	90 days	Dy. Secretary, Deptt. Of Health, Med. Edu. & Family Welfare.	30 Days	Joint Secretary, Deptt. Of Health, Med. Edu. & Family Welfare.	30 Days
18		Licence for manufacture of Cosmetics (Form-32, 32A)	State Licencing Authority (Director, Drugs)	90 days	Dy. Secretary, Deptt. Of Health, Med. Edu. & Family Welfare.	30 Days	Joint Secretary, Deptt. Of Health, Med. Edu. & Family Welfare.	30 Days
19		Licence for testing laboratory in Form-48 (Ayurvedic/Siddha/Unani)	State Licencing Authority (Director, Drugs)	90 days	Dy. Secretary, Deptt. Of Health, Med. Edu. & Family Welfare.	30 Days	Joint Secretary, Deptt. Of Health, Med. Edu. & Family Welfare.	30 Days
20	श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग	कारखाना प्रबंधन द्वारा समर्पित स्थायित्व प्रमाण-पत्र (Certificate of Stability) की मुख्य कारखाना निरीक्षक के द्वारा स्वीकृति/ निष्पादन	मुख्य कारखाना निरीक्षक	30 दिन	श्रमायुक्त	15 दिन	विभागीय सचिव	15 दिन
21	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	Land Acquisition through compulsory land acquisition (In case of Project involves Land Acquisition under Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013)	Deputy Commissioner	One month	Divisional Commissioner	15 days	ACS/Pr. Secretary/ Secretary	15 days
22		Tribal Development Plan approval/Clearance (Land Acquisition involving displacement of Scheduled Tribes under Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Re-settlement Act, 2013)	Deputy Commissioner	One month	Divisional Commissioner	15 days	ACS/Pr. Secretary/ Secretary	15 days
23		Approval of R&R scheme for land acquisition (In case of Project involving Land Acquisition under Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) - Report by Administrator	Additional Collector	Two months	Deputy Commissioner	15 days	Divisional Commissioner	15 days
24		Approval of R&R scheme for land acquisition (In case of Project involving Land Acquisition under Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) - Review by Collector	Deputy Commissioner	15 days	Divisional Commissioner	15 days	ACS/Pr. Secretary/ Secretary	15 days
25		Approval of R&R scheme for land acquisition (In case of Project involving Land Acquisition under Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) - Publication of approved RR Schemes by Commissioner U/R	Divisional Commissioner	15 days	ACS/Pr. Secretary/ Secretary	15 days	Development Commissioner	15 days

26	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	Licence for setting up a shop for retail sale of the excisable articles. (Shops are to be settled by draw of lot among the applicants.)	संबंधित जिले के उपायुक्त आगामी वित्तीय वर्ष के लिए खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती प्रत्येक वर्ष के फरवरी-मार्च माह में राजस्व पर्यद द्वारा अधिसूचित बिक्री अधिसूचना की शर्तों के तहत योग्य आवेदकों के बीच लॉटरी विधि से की जाती है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिये फरवरी-मार्च माह में बन्दोबस्ती की प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त शेष बची अबन्दोबस्त दुकानों की बन्दोबस्ती जिला के उपायुक्त के द्वारा प्रकाशित बिक्री अधिसूचना में निर्धारित तिथि को की जाएगी। किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए आयुक्त उत्पाद द्वारा स्वीकृत कुल अनुज्ञप्तियों के अतिरिक्त अन्य अनुज्ञप्तियों की बन्दोबस्ती हेतु दाया कोई भी आवेदक स्वेच्छा से नहीं कर सकता है।	आयुक्त, उत्पाद	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्य दिवस	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध	2 सप्ताह अर्थात् 14 कार्य दिवस
----	-----------------------------	---	---	----------------	--------------------------------	--	--------------------------------

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

 23.5.16

(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।

4281

23/5/16

ज्ञापांक-16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-II) का.-

/ राँची, दिनांक

प्रतिलिपि - नोडल पदाधिकारी, ई0 गजट, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-16/से0गा0अ0-01-05/2013 (खण्ड-II) का.-

4281

23/5/16

प्रतिलिपि - महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/ राज्यपाल सचिवालय/ मुख्यमंत्री सचिवालय/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कार्यालय/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 23/5/16

सरकार के प्रधान सचिव।